(12)

समाहरणालय, पटना
(जिला विधि शाखा)

फोन नं0–0612–2219545(का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
Email-legalsectionpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

नगर आयुक्त कार्यालय पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार लि. 10 OCT 2017 पटना नगर निगम

पत्रांक XV-34/16....3088..../ मु0 विधि दिनांक....10.../..10../2017

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना।
नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना।

अतिआवश्यक

विषय :– **कदमकुऑ थाना कांड सं0–238/14 दिनांक 24.05.14 धारा–420/467/468/471/120(बी) भा0द0वि0 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, बॉकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 659/मु0विधि दिनांक 06.03.17 एवं 2439/मु0विधि दिनांक 12.08.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृप्या स्मरण करना चाहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटन के पत्रांक 17251 दिनांक 28.12.16 की प्रति भेजते हुए पत्र में वर्णित से संबंधित पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना से संबंधित रहने के आलोक में मंतव्य एवं प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अभीतक अप्राप्त है, जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदन नही भेजा जा सका है।

सरकार से प्रतिवेदन हेतु पुनः स्मार पत्रांक 12082 दिनांक 18.09.17 प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में अविलम्ब मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदन अविलम्ब भेजा जा सके।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

13033
10/10/17

विश्वासभाजन,
10/10

जिलाधिकारी,
पटना।

D:\amit system file\legal 2017\Letters\DM Sir letter.docx

संचिका संख्या–08/अभि0–03–06/2016 सा0प्र0 12082 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य,
पटना।

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

पटना–15, दिनांक 18-9-17

विषयः– कदमकुआँ थाना कांड संख्या–238/2014 दिनांक 24.05.2014 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक 17251 दिनांक 28.12.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक 2390 दिनांक 08.08.2016 एवं पत्रांक 2629 दिनांक 05.09.2016 द्वारा श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त कराया गया है। उक्त क्रम में मामले के समीक्षोपरांत प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 17251 दिनांक 28.12.2016 द्वारा श्री शैलेश कुमार के विरूद्ध दर्ज थाना कांड में उनकी अपराधिक संलिप्तता के बिन्दु पर सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी थी, जो कि आज तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में यथाशीघ्र मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

18.9.17

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

64

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पटना।

नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य,
पटना।

पटना–15, दिनांक– 28-12-16

विषय :– कदमकुआँ थाना कांड सं0–238/14 दिनांक 24.05.2014 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — आपका पत्रांक - 2390 दि० - 8.8.16 एवं 2629 दि० - 5.9.16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त कदमकुआँ थाना कांड सं0–238/14 दिनांक 24.05.2014 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव एवं अभिलेखों की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शैलेश कुमार द्वारा पारित आदेश से कहीं यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होंने अपराधिक संलिप्तता के कारण कुमार ज्ञानेन्द्र यादव की मदद की। उल्लेखनीय है कि कुमार ज्ञानेन्द्र यादव के पक्ष में होल्डिंग नगर निगम में वर्ष 2004–05 में कायम हुआ था, जिस पर न्यायालय में विवाद चल रहा है। श्री शैलेश कुमार ने मात्र अपने आदेश दिनांक 27.06.2013 द्वारा इस वाद की कार्रवाई स्थगित की एवं किसी के पक्ष में इनके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में यह जानकारी आवश्यक है कि प्रश्नगत मामले में श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी बाँकीपुर अंचल के आदेश दिनांक 27.06.2013 से किस रूप में इनकी अपराधिक संलिप्तता के बिन्दु पर निष्कर्ष कायम किये गये, जबकि होल्डिंग टैक्स कुमार ज्ञानेन्द्र यादव के नाम वर्ष 2004–05 में ही बना था, जिसके लिए श्री शैलेश कुमार जिम्मेदार नहीं है।

नामांतरणवाद एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके लिए अपराधिक मामला चलाने के विषय पर न्यायालय को Right of Protection भी प्राप्त है। अभियोजन की स्वीकृति के लिए विभागीय सहमति देने के पूर्व यह आवश्यक है कि दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध दर्ज थाना कांड में उनकी अपराधिक संलिप्तता स्पष्ट हो। प्रश्नगत मामले में श्री शैलेश कुमार की अपराधिक संलिप्तता स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस विषय पर सुस्पष्ट मन्तव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह० 27/12/16
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।